UPAU010000652018

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।

पीठासीन अधिकारीः विकास गोस्वामी, (उच्चतर न्यायिक सेवा) JO Code: UP-2393

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 6/2018

उत्तर प्रदेश राज्य ..... अभियोजन पक्ष।

प्रति

1. सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र छोटे लाल यादव (मृतक/उपशमित दिनांक 30.03.2024)

2. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह यादव,

3. प्रद्युम्न कुमार यादव पुत्र सुरेन्द्र सिंह यादव,

निवासीगण गोपाल पुर, थाना विधूना, जिला औरैया।

.....अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या 174/2017
धारा–323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम।
थाना–विधूना, जनपद–औरैया।

निर्णय

1. प्रस्तुत विशेष सत्र परीक्षण संख्या 6/2018, संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 174/2017 में थाना विधूना, जिला औरैया द्वारा अभियुक्तगण सुरेन्द्र सिंह यादव, धर्मेन्द्र कुमार एवं प्रद्युम्न कुमार यादव के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में प्रेषित किया गया। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह यादव की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 30.03.2024 के अनुपालन में अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत मामले की कार्यवाही उपशमित की गई। अतः प्रस्तुत मामले में शेष अभियुक्तगण धर्मेन्द्र कुमार एवं प्रद्युम्न कुमार यादव का विचारण किया गया है।

Digitally signed by VIKAS GOSWAMI
Date: 2026.03.17 15:06:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा विजयपाल सिंह ने थाना कोतवाली विधूना में इन तथ्यों से युक्त तहरीर दी कि प्रार्थी अनुसूचित जाति चमार का गरीब व दलित व्यक्ति है। आज दिनांक 13.05.2017 को समय करीब दिन के 12.00 बजे प्रार्थी अपने दरवाजे पर था, उसी समय इन्दिरा आवास टीम प्रार्थी के दरवाजे पर आयी तथा कहा कि गाँव में सतीश चन्द्र का मकान कहाँ है। मेरे पुत्र राहुल ने कहा कि मकान वहाँ पर है, इतने में ग्राम के सुरेन्द सिह यादव पुत्र श्री छोटे लाल यादव, उनके पुत्र धर्मेन्द्र कुमार व प्रधुम्न कुमार पुत्रगण सुरेन्द्र सिह यादव, मेरे पुत्र राहुल को लातघूसों से गिराकर मारने पीटने लगे तथा तथा जाति सूचक भद्दी–भद्दी गालियाँ देकर कहा कि साले चमरे तेरे दिमाग खराब हो गये है, आज तुझे सबक सिखाकर रहूँगा। उक्त मारपीट से मेरे पुत्र के चोटे आयी है। प्रार्थी व ग्राम के लोगों ने आकर बीच बचाव किया तथा जाते समय उक्त लोग ऐलानिया तौर पर धमकी दे गये कि साले चमरे यदि थाने में शिकायत की तो मय परिवार के जान से मार देंगे, मकान में आग लगा देंगे। उक्त घटना को अमित पुत्र श्री वीरेन्द्र सिह व गुड्डु पुत्र श्री आछेलाल आदि लोगो ने देखी है तथा बीच बचाव किया था। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे पुत्र राहुल का डाक्टरी परीक्षण कराकर रिपोर्ट दर्ज की जाकर जान व माल की सुरक्षा की जाये उक्त लोग दबंग व पैसे वाले जाति यादव है।

3. वादी मुकदमा विजयपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना विधूना, जनपद औरैया में मुकदमा अपराध संख्या 174/2017 अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अभियुक्तगण सुरेन्द्र सिंह यादव, धर्मेन्द्र कुमार व प्रद्युम्न कुमार यादव के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण सुरेन्द्र सिंह यादव, धर्मेन्द्र कुमार व प्रद्युम्न कुमार यादव के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)V क अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम विचारण हेतु प्रेषित किया गया। विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया।

4. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह यादव की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 30.03.2024 के अनुपालन में अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत मामले की कार्यवाही उपशमित की गई।

5. शेष अभियुक्तगण धर्मेन्द्र कुमार व प्रद्युम्न कुमार यादव के उपस्थित होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2024 को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(V क) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार

निवारण) अधिनियम विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

6. अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य हेतु निम्नलिखित साक्षीगण परीक्षित कराये गये–

अभियोजन साक्षी सं०	**साक्षी का नाम**	**संक्षिप्त विवरण/साक्षी की भूमिका**
पी०डब्लू०–01	विजय पाल सिंह	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०–02	राहुल (मजरूब)	तथ्य का साक्षी/चुटहिल
पी०डब्लू०–03	सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकार लालता प्रसाद शुक्ला	पुलिस साक्षी/विवेचक
पी०डब्लू०–04	हेड काँ० 374 शिव सिंह	पुलिस साक्षी/मुकदमा कायमी साक्षी
पी०डब्लू०–05	गुड्डू	तथ्य का साक्षी

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं और उन्हें निम्नलिखित साक्षीगण के माध्यम से प्रमाणित कराया गया है–

क्र०सं०	**प्रदर्श संख्या**	**प्रपत्र**	**अनुप्रमाणित साक्षी**
01	प्रदर्श क–01	तहरीर	पी०डब्लू०–01
02	प्रदर्श क–02	नक्शा–नजरी घटनास्थल	पी०डब्लू०–03
03	प्रदर्श क–03	आरोप पत्र	पी०डब्लू०–03
04	प्रदर्श क–04	कायमी जी.डी.	पी०डब्लू०–04
05	प्रदर्श क–05	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी०डब्लू०–04

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने कहा है कि उनके विरुद्ध झूठा मुकदमा चला। वह निर्दोष हैं। अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया है।

<u>अभियोजन साक्ष्य</u>

9. अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या–01 विजय पाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह चमार अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा मुल्जिम सुरेन्द्र सिंह यादव, धर्मेन्द्र कुमार व प्रद्युम्न कुमार यादव जाति के हैं। दिनांक 13.05.2017 को दिन के 12:00 बजे वह ऐरवकटरा में था, स्वयं के दरवाजे पर नहीं था। उस समय इन्दिरा आवास स्कीम गांव में आयी थी। उसके पुत्र राहुल से इन्दिरा आवास की टीम ने गांव के सतीश का मकान पूछा था, कहां है, तो उसके पुत्र ने सतीशचन्द्र का पक्का वाला मकान बता दिया था। मकान बताने पर सुरेन्द्र सिंह ने उसके पुत्र राहुल के साथ मारपीट कर

दी थी तथा गाली गलौज की थी। वह मौके पर घटना स्थल पर नहीं था। उसने कोई घटना नहीं देखी थी। वह एक–डेढ घण्टे बाद लौटा था, तब उसके पुत्र ने बताया कि अभियुक्त ने उसे झापड़ मार दिया था। उसने घटना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र तहसील बिधूना में टाइप कराया था। उससे बिना पूछे टाईप कर दिया था। यही प्रार्थना पत्र उसने हस्ताक्षर बनाकर थाना में दिया था, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उसने स्वयं घटना नहीं देखी थी। प्रार्थना पत्र बोल–बोलकर टाईप नहीं कराया था। प्रार्थना पत्र में उसने घटना का विवरण नहीं लिखाया था। गाँव वालों के बताने पर टाईप वाले ने लिख दिया था। उसे पढ़कर सुनाया नहीं था। धर्मेन्द्र कुमार, प्रद्युम्न कुमार ने उसके पुत्र की मारपीट नहीं की थी, न ही उसके पुत्र ने उसे बताया था, न ही इन लोगों ने उसके साथ जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया, न ही मारपीट की थी।

10. अभियोजन साक्षी संख्या–02 राहुल ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया है कि वह चमार अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। मुल्जिमान यादव (पिछड़ी) जाति के हैं। सुरेन्द्र सिंह व धर्मेन्द्र कुमार, प्रद्युम्न कुमार यादव जाति के हैं। दिनांक 13.05.2017 को दिन के 12.00 बजे वह घर पर था। उसी समय गांव में इन्द्रा आवास जांच की टीम आयी थी। उन्होंने, उससे गांव के सतीशचन्द्र का घर पूछा था। उसने उनका पक्का वाला मकान बता दिया था। इसी बात से नाराज होकर उसके गांव के सुरेन्द्र सिंह यादव, जो गांव के पूर्व प्रधान थे, उससे नाराज हो गये। उसे थप्पड़ मार दिया था, जिससे उसके कान में चोट लग गयी थी। उसके पिताजी जब घर वापस आये तथा घटना जानी व उससे पूछा, तब उसने उन्हें भी यही बात बतायी थी। हाजिर अदालत मुल्जिम धर्मेन्द्र व प्रद्युम्न ने उसके साथ लात–घूसों से मारपीट नहीं की थी, न ही जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया था. न जान से मारने की धमकी दी थी।

11. अभियोजन साक्षी संख्या–03 सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी लालता प्रसाद शुक्ला ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 14.05.2017 को वह क्षेत्राधिकारी बिधूना, जनपद औरैया के पद पर तैनात था। उस दिन मु०अ०सं० 174/2017 धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना बिधूना बनाम सुरेन्द्र सिंह यादव, धर्मेन्द्र व प्रद्युम्न कुमार के विरुद्ध विवेचना प्राप्त होने पर उसी दिन विवेचना ग्रहण कर केस डायरी के पर्चा 1 में नकल चिक, नकल रपट का हवाला किया। लेखक प्रथम सूचना रिपोर्ट विष्णू कुमार, कायमी लेखक कां० शिव सिंह, वादी मुकदमा विजयपाल सिंह, मजरुब राहुल के बयान दर्ज किये। वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया, जो संलग्न पत्रावली 11 क है, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं, जिनकी वह पहचान करते हैं, जिस पर प्रदर्श क–02 डाला गया। दिनांक 25.05.2017 को पर्चा 2 में प्रथम सूचना रिपोर्ट के गवाह अमित, गुड्डू के बयान अंकित किये गये। दिनांक 22.06.2017 को पर्चा 3 में गवाह

सवेन्द्र सिंह यादव, अभियुक्तगण सुरेन्द्र यादव, धर्मेन्द्र व प्रद्युम्न के बयान अंकित किये। दौरान विवेचना उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उन्होंने अभियुक्तगण सुरेन्द्र यादव, धर्मेन्द्र व प्रद्युम्न के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(2) (va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का आरोप बखूबी साबित होने पर आरोप पत्र संख्या 132/2017 दिनांकित 22.06.2017 प्रस्तुत किया, जो संलग्न पत्रावली का०सं० 3क/1 लगायत 3क/8 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर है, जिसकी वह पहचान करते हैं, जिस पर प्रदर्श क–03 डाला गया। क्षेत्राधिकारी अखिलेश राजन उनके साथ जनपद में तैनात रहे हैं। उन्होंने उनको लिखते–पढते व हस्ताक्षर बनाते देखा है। पत्रावली में दाखिल एस.सी.डी. प्रथम क्षेत्राधिकारी अखिलेश राजन द्वारा दिनांक 31.10.2017 को किता की गयी है। इसमें उनके द्वारा मजरुब राहुल के मेडिकल प्रपत्र व रेफर स्लिप का अवलोकन किया। वादी मुकदमा के मजीद बयान व डॉक्टर विकास मिश्रा के बयान दर्ज किये गये। पत्रावली में संलग्न का०सं० 12क/1 लगायत 12क/2 एस.सी.डी. प्रथम में क्षेत्राधिकारी अखिलेश राजन के हस्ताक्षर हैं, जिनकी वह पहचान करते हैं।

12. अभियोजन साक्षी संख्या–04 हेड कॉंस्टेबल 374 शिव सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया है कि दिनांक 13.05.2017 को वह थाना बिधूना, जनपद औरैया में कां० क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा विजयपाल सिंह द्वारा दी गयी टाईपशुदा तहरीर के आधार पर उसने मु०अ०सं० 174/2017 धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(v) अनुसुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम बनाम सुरेन्द्र सिंह यादव, धर्मेन्द्र व प्रद्युम्न के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके इसका हवाला नकल रपट संख्या 30 समय 17:00 बजे दिनांक 13.05.2017 को किया था। जी०डी० को उसने बोल–बोलकर कां० विष्णू कुमार से टाईप करवाया था, जिसे वह प्रमाणित कर स्वयं के हस्ताक्षर बनाता है, जिस पर प्रदर्श क–04 डाला गया। उसने वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कां० विष्णू कुमार से कम्प्यूटर पर टाईप करवायी थी, जो संलग्न पत्रावली का०सं० 4क/1 लगायत 4क/4 है, जिस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पहचान व तस्दीक करता है, जिस पर प्रदर्श क–05 डाला गया। विवेचक ने उसके बयान लिए थे।

13. अभियोजन साक्षी संख्या–05 गुड्डू ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया है कि दिनांक 13.05.2017 को दिन के 12.00 बजे ऐरवाकटरा ब्लाक के ग्राम विकास अधिकारी इन्दिरा आवास की जांच करने के लिए गांव में आये थे। उसके सामने जांच नहीं हुई थी। वह उस समय गांव में नहीं था। बाद में उसे जानकारी हुई थी। उसके सामने उसके गांव के राहुल के साथ अभियुक्तगण धर्मेन्द्र, प्रद्युम्न व सुरेन्द्र ने मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी एवं जातिसूचक शब्दों से अपमानित नहीं किया था।

साक्ष्य का विश्लेषण

14. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण धर्मेन्द्र एवं प्रद्युम्न पर यह आरोप है कि दिनांक 13.05.2017 को समय लगभग 12.00 बजे दिन, स्थान दरवाजा वादी मुकदमा विजय पाल सिंह बहद ग्राम गोपाल पुर, थाना बिधूना, जिला औरैया में अभियुक्तगण ने यह जानते हुए कि वादी मुकदमा का पुत्र राहुल अनुसूचित जाति का सदस्य है, उसको मारपीटकर स्वेच्छया उपहति कारित की, उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा उसे गाली–गलौज कर साशय अपमानित किया।

15. प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा पूर्व दिनांक को उभयपक्ष को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया।

16. विद्वान लोक अभियोजक ने अभियोग कथानक का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि वादी मुकदमा विजय पाल सिंह के पुत्र राहुल के द्वारा इन्दिरा आवास टीम को सतीशचन्द्र का मकान बताने पर, अभियुक्तगण ने राहुल को भद्दी–भद्दी गालियाँ देते हुए, उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा लोगों के आने पर जाते समय अभियुक्तगण ने राहुल को जान से मारने की धमकी दी। अभियोजन साक्षीगण ने अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है तथा अभियोजन साक्षी संख्या–02 राहुल, जो कि प्रस्तुत मामले में पीड़ित है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त के द्वारा थप्पड़ मारने की पुष्टि की है, इस आधार पर अभियोजन कथानक साबित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गई।

17. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि प्रकरण अत्यन्त मिथ्या है व अभियोजन के तथ्य के किसी भी साक्षी द्वारा अभियोग कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में तथ्य के कुल तीन साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं तथा यह सभी साक्षीगण पक्षद्रोही हो गये हैं। प्रस्तुत मामले में अभियोजन साक्षी संख्या–01 वादी मुकदमा विजय पाल सिंह तथा अभियोजन साक्षी संख्या–05 गुड्डू चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, उन्होने अपने बयानों में स्वयं घटना देखे जाने से इंकार किया है तथा अभियोजन कथानक समर्थन नहीं किया है। यद्यपि अभियोजन साक्षी संख्या–01 ने तहरीर को प्रदर्श क–01 के रूप में साबित किया है, परंतु उसने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि यह तहरीर तहसील विधूना में उससे बिना पूछे टाईप कर दिया था, उसने प्रार्थना पत्र बोल–बोलकर टाईप नहीं कराया था, उसने घटना का विवरण नहीं लिखाया था, गाँव वालों के बोलने पर टाईप वाले ने लिख दिया था, उसे पढ़कर सुनाया नहीं था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–02 ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। कथित घटना के पीड़ित राहुल ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण धर्मेन्द्र व प्रद्युम्न द्वारा उसके साथ घटना कारित किये जाने इंकार किया है। शेष अन्य दो साक्षीगण पुलिसकर्मी हैं, उनके द्वारा अपने

पदीय दायित्वों के निर्वहन में अभियोजन प्रपत्रों को प्रमाणित किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अभियोजन कथानक संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

18. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना वाद युक्तियुक्त रूप से सन्देह से परे साबित करना होता है। उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन के आधार पर न्यायालय को अब मात्र यह देखना है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोपों को संदेह से परे साबित कर पाया है या नहीं?

19. अभियुक्तगण धर्मेन्द्र व प्रद्युम्न के विरुद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के सापेक्ष न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य का विश्लेषण किया गया।

20. अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के महत्वपूर्ण साक्षी वादी मुकदमा विजय पाल सिंह को साक्षी संख्या–01 के रूप में परीक्षित कराया गया। अभियोजन साक्षी संख्या–01 वादी मुकदमा विजय पाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा यह कथन किया है कि "**दिनांक 13.05.2017 को दिन के 12:00 बजे मैं ऐरवकटरा में था, अपने दरवाजे पर नहीं था। उस समय इन्दिरा आवास स्कीम गांव में आयी थी। मेरे पुत्र राहुल से इन्दिरा आवास की टीम ने गांव के सतीश का मकान पूछा था, कहां है, तो मेरे पुत्र ने सतीशचन्द्र का पक्का वाला मकान बता दिया था। मकान बताने पर सुरेन्द्र सिंह ने मेरे पुत्र राहुल के साथ मारपीट कर दी थी तथा गाली गलौज की थी। मैं मौके पर घटना स्थल पर नहीं था। मैंने कोई घटना नहीं देखी थी। मैं एक–डेढ घण्टे बाद लौटा था, तब मेरे पुत्र ने बताया कि अभियुक्त ने उसे झापड़ मार दिया था।**" इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–01 की उपरोक्त मुख्य परीक्षा के अनुसार, साक्षी संख्या–01 वादी मुकदमा विजय पाल सिंह कथित घटना के समय अपने दरवाजे पर नहीं था, उसने स्वयं कोई घटना नहीं देखी, कथित घटना के एक–डेढ़ घण्टे बाद लौटने पर उसके पुत्र ने उसे बताया था कि अभियुक्त सुरेन्द्र (मृतक) ने उसे झापड़ मार दिया था। यद्यपि साक्षी संख्या–01 ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत मामले की तहरीर प्रदर्श क–01 को प्रमाणित किया है, परंतु तहरीर प्रदर्श क–01 के संबंध में उसने अपनी मुख्य परीक्षा में आगे कथन किया है कि "**मैंने घटना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र तहसील बिधूना में टाईप कराया था। मुझसे बिना पूछे टाईप कर दिया था। मैंने स्वयं घटना नहीं देखी थी। प्रार्थना पत्र बोल–बोलकर टाईप नहीं कराया था। प्रार्थना पत्र में मैंने घटना का विवरण नहीं**

लिखाया था। गाँव वालों के बताने पर टाईप वाले ने लिख दिया था। मुझे पढ़कर सुनाया नहीं था। धर्मेन्द्र कुमार, प्रद्युम्न कुमार ने मेरे पुत्र की मारपीट नहीं की थी, न ही मेरे पुत्र ने मुझे बताया था, न ही उन लोगों ने उसके साथ जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया, न ही मारपीट की थी।" अतः अभियोजन साक्षी संख्या–01 वादी मुकदमा विजय पाल सिंह की उपरोक्त मुख्य परीक्षा से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी संख्या–01 को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा प्रतिपरीक्षा की गई, साक्षी संख्या–01 ने अभियोजन पक्ष द्वारा की गई अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि '**मैं अपने पुत्र राहुल के साथ थाना विधूना गया था। मेरे पुत्र राहुल की डॉक्टरी परीक्षण सरकारी अस्पताल विधूना में हुआ था। मेरे पुत्र का एक्स–रे नहीं हुआ था। मेरे पुत्र को कोई जाहिरा चोट नहीं थी। हल्की चोट थी। घटना के संबंध में पुलिस मुझसे पूछताँछ की थी। गवाह को धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था।, कैसे लिख दिया, वजह नहीं बता सकता।"** बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में अभियोजन साक्षी संख्या–01 विजय पाल सिंह ने पृष्ठ–04 के दूसरे पैरा में कथन किया है कि "**जब मैं थाना रिपोर्ट करने गया था, तब मुझे जानकारी नहीं थी कि अभियुक्त धर्मेन्द्र व प्रद्युम्न का नाम तहरीर में लिखा है।"** इसी पृष्ठ के अंत में कहा है कि "**यह सही है कि अभियुक्त धर्मेन्द्र व प्रद्युम्न ने मेरे पुत्र राहुल के साथ घटना नहीं की थी।"** साक्षी संख्या–01 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में धारा 161 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभिलिखित किये गये स्वयं के बयानों का भी खण्डन किया है तथा प्रतिपरीक्षा में भी अभियुक्तगण धर्मेन्द्र व प्रद्युम्न का नाम तहरीर में अंकित होने की जानकारी होने से भी इंकार किया है। अतः अभियोजन साक्षी संख्या–01 वादी मुकदमा विजय पाल सिंह ने अपने संपूर्ण बयानों में कहीं भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

21. अभियोजन पक्ष की ओर से कथित घटना के चुटहिल/पीड़िता राहुल को अभियोजन साक्षी संख्या–02 के रूप में परीक्षित कराया गया है। साक्षी संख्या–02 राहुल ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा यह अभिकथन किया है कि "दिनांक 13.05.2017 को दिन के 12.00 बजे मैं घर पर था। उसी समय गांव में इन्द्रा आवास जांच की टीम आयी थी। उन्होंने, मुझसे गांव के सतीशचन्द्र का घर पूछा था। मैंने उनका पक्का वाला मकान बता दिया था। इसी बात से नाराज होकर **मेरे गांव के सुरेन्द्र सिंह यादव, जो गांव के पूर्व प्रधान थे, मुझसे नाराज हो गये। मुझे थप्पड़ मार दिया था, जिससे मेरे कान में चोट लग गयी थी। मेरे पिताजी जब घर वापस आये तथा घटना जानी व मुझसे पूछा, तब मैंने उन्हें भी यही बात बतायी थी। हाजिर अदालत मुल्जिम धर्मेन्द्र व प्रद्युम्न ने मेरे साथ लात–घूसों से मारपीट नहीं की थी, न ही जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया था, न जान से मारने की धमकी दी थी।"** इस प्रकार साक्षी संख्या–02 राहुल की उपरोक्त मुख्य परीक्षा के अनुसार, अभियुक्तगण धर्मेन्द्र व प्रद्युम्न ने उसके साथ लात–

घूसों से मारपीट नहीं की थी, न ही जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया था. न जान से मारने की धमकी दी थी। **यद्यपि साक्षी संख्या–02 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अवश्य बताया है कि इन्दिरा आवास जाँच टीम को सतीशचन्द्र का घर बताने से नाराज होकर सुरेन्द्र सिंह द्वारा उसे थप्पड़ मार दिया गया था, परंतु यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह, जो कि प्रस्तुत मामले में सहअभियुक्त थे, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण सुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है तथा साक्षी संख्या–02 ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में प्रकरण के शेष दोनों अभियुक्तगण धर्मेन्द्र व प्रद्युम्न द्वारा उसे मारेपीटे जाने, गाली दिये जाने व जान से मारने की धमकी दिये जाने से स्पष्ट इंकार किया है।** अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी संख्या–02 को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया तथा प्रतिपरीक्षा की गई। साक्षी संख्या–02 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा अभियुक्तगण धर्मेन्द्र व प्रद्युम्न कुमार द्वारा मारपीट किये जाने से इंकार किया है एवं पत्रावली पर संलग्न अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० का भी खण्डन किया है। अतः अभियोजन के महत्वपूर्ण गवाह साक्षी संख्या–02 राहुल, जो कि कथित घटना में पीड़ित है, ने भी अपने संपूर्ण बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा अभियुक्तगण धर्मेन्द्र व प्रद्युम्न द्वारा उसके साथ अभियोजन कथानक की घटना कारित किये जाने से स्पष्ट इंकार किया है।

22. इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के तीसरे साक्षी गुड्डू को साक्षी संख्या–05 के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–05 गुड्डू ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा यह कथन किया है कि "**दिनांक 13.05.2017 को दिन के 12.00 बजे ऐरवाकटरा ब्लाक के ग्राम विकास अधिकारी इन्दिरा आवास की जांच करने के लिए गांव में आये थे। मेरे सामने जांच नहीं हुई थी। मैं उस समय गांव में नहीं था। बाद में मुझे जानकारी हुई थी। मेरे सामने मेरे गांव के राहुल के साथ अभियुक्तगण धर्मेन्द्र, प्रद्युम्न व सुरेन्द्र ने मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी एवं जातिसूचक शब्दों से अपमानित नहीं किया था।**" इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–05 गुड्डू ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में ही स्वयं की कथित घटना के समय उपस्थिति से तथा उसके सामने उसके गांव के राहुल के साथ अभियुक्तगण धर्मेन्द्र, प्रद्युम्न व सुरेन्द्र द्वारा मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी एवं जातिसूचक शब्दों से अपमानित किये जाने की घटना कारित होने से स्पष्ट इंकार किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी संख्या–05 को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा प्रतिपरीक्षा की गई, जिसमें साक्षी संख्या–05 गुड्डू ने कथन किया है कि "**घटना के संबंध में सी.ओ. साहब ने मुझसे कोई पूछताँछ नहीं की। गवाह को धारा 161 दं०प्र०सं० पढ़ाया गया तो कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, कैसे लिख दिया है, मैं वजह नहीं बता सकता। घटना वाले दिन मैं गाँव में नहीं था,**

रिश्तेदारी में गया था।" अतः साक्षी संख्या–05 गुड्डू के मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के बयानों से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है।

23. अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य के सभी साक्षीगण की साक्ष्य का विश्लेषण किये जाने पर यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में साक्षी संख्या–01 व 05 ने स्वयं घटना देखे जाने से इंकार किया है। अभियोजन साक्षी संख्या–02 राहुल जो कि प्रस्तुत मामले की कथित घटना में पीड़ित है, ने भी अपने बयानों में अभियुक्तगण धर्मेन्द्र व प्रद्युम्न द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित किये जाने से स्पष्ट इंकार किया है। तथ्य के सभी साक्षीगण ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० का भी खण्डन किया है। इस प्रकार तथ्य के किसी भी साक्षी द्वारा संदेह से परे अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा अपने कथनों में अभियुक्तगण धर्मेन्द्र व प्रद्युम्न द्वारा वादी मुकदमा विजय पाल सिंह के पुत्र राहुल से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित करने, गालियां देने व जान से मारने संबंधी घटना के तथ्यों को संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है।

24. प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य सभी साक्षीगण, पुलिस साक्षी हैं, जिनमें अभियोजन साक्षी संख्या 03 सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी लालता प्रसाद शुक्ला है, इनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना की गई तथा इन्होने अपने बयानों में अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में किये गये विवेचना कार्य का उल्लेख करते हुए स्वयं के द्वारा वादी मुकदमा की निशानदेही पर तैयार किये गये नक्शा–नजरी को प्रदर्श क–02 के रूप में तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर स्वयं के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र कागज संख्या 3क को प्रदर्श क–03 को प्रमाणित किया है। इसी प्रकार अभियोजन की ओर से साक्षी संख्या–04 के रूप में हेड कॉं० 374 शिव सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में वादी मुकदमा विजय पाल सिंह द्वारी दी गई तहरीर के आधार पर प्रस्तुत मामले में मुकदमा पंजीकृत करके, इसका हवाला नकल रपट संख्या 30, समय 17.00 बजे दिनांक 13.05.2017 में करने, स्वयं के द्वारा बोलने पर कंप्यूटर पर कॉं० विष्णुकुमार से जी.डी. व प्रथम सूचना रिपोर्ट टाईप कराये जाने का कथन किया है। साक्षी संख्या–04 हेड कॉं० 374 शिव सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में जी.डी. कायमी कागज संख्या 7क तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या 4क/1, 4क/4 को क्रमशः प्रदर्श क–04 व प्रदर्श क–05 के रूप में साबित किया है।

25. चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के सभी साक्षीगण अभियोजन साक्षी संख्या–01, 02 व 05 के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक व अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित आरोप संदेह से परे साबित नहीं होते है। अतः ऐसी स्थिति में मात्र औपचारिक साक्षीगण, अभियोजन साक्षी संख्या 03 एवं 04 के द्वारा घटनास्थल के नक्शा–नजरी प्रदर्श क–02, आरोप

पत्र प्रदर्श क–03, कायमी जी.डी. प्रदर्श क–04 व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–05 को साबित किये जाने के आधार पर अभियुक्तगण धर्मेन्द्र कुमार व प्रद्युम्न कुमार यादव के विरुद्ध आरोप अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम संदेह से परे साबित होना नहीं माने जा सके।

26. अभियोजन की ओर से तथ्य का या अन्यथा कोई साक्षी इस प्रकृति का परीक्षित नहीं हुआ है, जिससे किसी प्रकार अभियोग कथानक प्रमाणित होता हो। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियोग कथानक की पुष्टि नहीं करती है।

27. अभियोजन का यह दायित्व है कि वह सम्पूर्ण अभियोग कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करे, जो कि अभियोजन द्वारा नहीं किया गया है। सम्पूर्ण अभियोग कथानक संदेहजनक एवं मिथ्या साक्ष्य पर आधारित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि **Amar Singh Vs. State of N.C.T. of Delhi 2020 SCC Online S.C. 826** में यह धारित किया गया है कि, जहां पर साक्ष्यों में विरोधाभास है, अभियोग कथानक में असंगत कथन किये गये हैं तथा साक्षी का आचरण सामान्य मानवीय स्वभाव से भिन्न है, वहां अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना उचित नहीं है।

28. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि **राजस्थान राज्य प्रति शीशपाल ए0आई0आर0 2016 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 4958** में यह प्रतिपादित किया गया है कि आपराधिक विधि शास्त्र का यह मूलभूत सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना वाद, अभियुक्त को दोषसिद्ध स्थापित करने के लिए, सभी तर्क संगतपूर्ण संदेह से परे प्रमाणित करना होगा, अपने वाद को सभी युक्ति युक्त संदेह से परे सिद्ध करने का भार सदैव अभियोजन पर होता है। यह सिद्ध भार कहीं भी परिवर्तित नहीं होता है।

29. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि **खेमराज प्रति हिमाचल राज्य (2018) 1 एस0सी0सी0 पृष्ठ 202** में यह मत व्यक्त किया गया है कि–

"The well established canon of criminal justice is, fouler the crime higher the proof. In unmistakable terms, it is the mandate of law that the prosecution in order to suceed in a criminal trial, has to prove the criminal charge(s) beyond all reasonable doubt. The prosecution has to be in the category of "**must be true" and not "may be true**." ....."

30. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Chunthuran Vs. State of Chhattisgarh AIR Online 2020 SC 799** तथा अनेकों अन्य निर्णयज विधियों में यह अवधारित

किया गया है कि यह अपराध विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से दो संभावनायें निकलती है, एक अभियुक्त की दोषमुक्ति का तथा दूसरा अभियुक्त की दोषसिद्धि का, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के दोषमुक्ति की संभावना बलवती होती है तथा इस संभावना का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिये। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा **Selva Raj Vs. State of Tamil Nadu (1976) 4 SCC 343** में यह धारित किया गया है कि, जहां पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विश्लेषण से अभियोग कथानक अत्यधिक असंभाव्य सहज मानवीय स्वभाव के विपरीत एवं विरोधाभासी है, तो अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना उचित नहीं है।

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दिगम्बर वैष्णव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (एआईआर 2019 एससी 1367)** में यह अवधारित किया गया है कि

"17–In Varkey Joseph v. State of Kerala, 1993 Suppl (3) SCC 745, this Court has held that suspicion is not the substitute for proof. There is a long distance between 'may be true' and 'must be true' and the prosecution has to travel all the way to prove its case beyond reasonable doubt.

In Sujit Biswas v. State of Assam, (2013) 12 SCC 406, this Court, while examining the distinction between 'proof beyond reasonable doubt' and 'suspicion' has held as under:

"13. Suspicion, however grave it may be, cannot take the place of proof, and there is a large difference between some एवंthing that "may be" proved, and something that "will be proved". In a criminal trial, suspicion no matter how strong, cannot and must not be permitted to take place of proof. This is for the reason that the mental distance between "may be" and "must be" is quite large, and divides vague conjectures from sure conclusions. In a criminal case, the court has a duty to ensure that mere conjectures or suspicion do not take the place of legal proof. The large distance between "may be" true and "must be" true, must be covered by way of clear, cogent and unimpeachable evidence produced by the prosecution, before an accused is condemned as a convict, and the basic and golden rule must be applied. In such cases, while keeping in mind the distance between "may be" true and "must be" true, the court must maintain the vital distance between mere conjectures and sure conclusions to be arrived at, on the touchstone of

dispassionate judicial scrutiny, based upon a complete and comprehensive appreciation of all features of the case, as well as the quality and credibility of the evidence brought on record. The court must ensure, that miscarriage of justice is avoided, and if the facts and circumstances of a case so demand, then the benefit of doubt must be given to the accused, keeping in mind that a reasonable doubt is not an imaginary, trivial or a merely probable doubt, but a fair doubt that is based upon reason and common sense".

32. अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, न्यायालय की राय में अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण धर्मेन्द्र कुमार एवं प्रद्युम्न कुमार सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा– 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)V क अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण धर्मेन्द्र कुमार एवं प्रद्युम्न कुमार सिंह, उन पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा– 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)V क अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

33. वादी मुकदमा विजय पाल सिंह द्वारा प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क–01 के आधार पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने का उल्लेख किया गया था तथा न्यायालय के समक्ष वह शपथ पर सत्य बात कहने के लिए आबद्ध था, परन्तु उसने न्यायालय के समक्ष अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया और न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया मिथ्या साक्ष्य दिया है, जिससे उसके विरूद्ध प्रथम दृष्टया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

1. विशेष सत्र परीक्षण संख्या 6/2018, संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 174/2017, पुलिस थाना विधूना, जनपद औरैया में अभियुक्तगण धर्मेन्द्र कुमार एवं प्रद्युम्न कुमार सिंह को धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)V क अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्या० निवा०) अधिनियम के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

2. अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को दायित्वमुक्त किया जाता है।

3. अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्तगण धारा 437(क) दं0 प्र 0 सं0 के प्राविधान के तहत अंकन 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू दाखिल करे। उक्त बन्धपत्र व प्रतिभूपत्र छहः माह के लिए प्रभावी होंगे।

4. वाद से सम्बन्धित सभी प्रपत्र एक वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे तथा अपील होने पर उनका निस्तारण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार एवं अपील न होने पर नियमानुसार किया जायेगा।

5. वादी मुकदमा/अभियोजन साक्षी संख्या–01 विजय पाल सिंह के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के अन्तर्गत पृथक से प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस निर्गत किया जाये।

6. जिलाधिकारी, औरैया को निर्देशित किया जाता है कि इस मुकदमें के वादी मुकदमा विजय पाल सिंह को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई प्रतिकर सहायता धनराशि प्रदान की गयी हो तो वह नियमानुसार वसूल कर ली जाए तथा तत्संबंधी अनुपालन आख्या इस न्यायालय को यथाशीघ्र प्रेषित की जाए।

दिनांक– 17.03.2026

(विकास गोस्वामी)
विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
J.O. Code UP2393

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक– 17.03.2026

(विकास गोस्वामी)
विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
J.O. Code UP2393